कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 31.05.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयीकार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामवृक्ष यादव उर्फ राज यादव पुत्र महादेव नि0 ग्राम केशवनगर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 पाउच देशी शराब बरामद कर मु0अ0सं0–71/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. काशीचन्द्र पुत्र झुर्रे पासवान नि0 रेहरवा मौजा रनियापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–101/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.05.2022

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना तरबगंज पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त पारसनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 22.04.2022 को वादिनी श्रीमती शांति पत्नी भानू नि0 बनघुसरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. पारसनाथ पुत्र सुकई उर्फ लल्लन नि0 बैरागी पुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–133/22, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 अशोक सिंह मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.05.2022

"ऑपरेशन गैंगेस्टर" के तहत गैंगेस्टर ऐक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः—

माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन द्वारा पूरे प्रदेश में गैंगेस्टर/एच0एस0/गुण्डा के विरूद्ध 100 दिवसीय चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में थाना मनकापुर पुलिस को गैंगेस्टर ऐक्ट के 01 वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है।

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त सुशील सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। **उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0—178/22, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना मनकापुर में वांछित चल रहा था।** अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सुशील सिंह पुत्र सुरेंन्द्र बहादुर सिंह नि0 ग्राम हनुमानपुरवा गुडसड़ी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु0अ0सं0—178/22, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः—

उ0नि0 बीरबल मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.05.2022

सभासद के घर बलवा कर जानलेवा हमला करने के 05 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 31.05.2022 को थाना को० नगर क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान सभासद वंदना गुप्ता पत्नी विकास जायसवाल निवासी 209 पटेल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा के घर विपक्षीगणों द्वारा पत्थरों से तोडफोड करते हुए जानलेवा हमला किया गया था। वादिनी वंदना गुप्ता की तहरीर पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश प्र0नि0 को0 नगर को दिए गए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त 05 आरोपी अभियुक्तों–01. आलिन्द्र पाण्डेय उर्फ हनी पाण्डेय, 02. अभिषेक सिंह, 03. विष्णु कुमार उर्फ टीटू, 04. प्रिंस शुक्ला, 05. मोहित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः–

01. 01. आलिन्द्र पाण्डेय उर्फ हनी पाण्डेय पुत्र प्रमोद पाण्डेय नि0 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. अभिषेक सिंह पुत्र रामउदित सिंह नि0 नेहरू स्टेडियम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. विष्णु कुमार उर्फ टीटू नि0 पटेलनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. प्रिंस शुक्ल पुत्र स्व0 सत्यराम शुक्ला नि0 गंगापुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
05. मोहित तिवारी पुत्र स्व0 घनश्याम तिवारी नि0 गंगापुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः–

01. मु0अ0सं0–363/22, धारा 147,336,307,354,452,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीमः–

प्र0नि0 को0 नगर पंकज सिंह मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.05.2022

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना छपिया पुलिस ने लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियुक्त थाना छपिया का टॉप–10 अपराधी है जो पूर्व में कई बार जेल भी जा चुका है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजेन्द्र पुत्र विच्छू नि0 ककरघटा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–75/22, धारा 363,376 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 प्रेमानन्द मय टीम।